संख्या- 65/2015/897/78-2-2015-189आई.टी./2013

प्रेषक,

जी0एस0 प्रियदर्शी
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

उद्योग निदेशक,
कानपुर, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-2 लखनऊ: दिनांक: 16 जून, 2015

विषय: नेशनल ई-गवर्नेन्स एक्शन प्लान के अन्तर्गत विभिन्न उप योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में भारत सरकार द्वारा आवंटित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2015-16 में स्वीकृति जारी किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सीईजी के पत्र संख्या-CeG/G/29/VIII/31/15 दिनांक 25.04.2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा केन्द्रपोषित नेशनल ई-गवर्नेन्स एक्शन प्लान के अन्तर्गत निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत रू0 42,64,00,000.00 (रू0 बयालीस करोड़ चौसठ लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो के अधीन स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

केन्द पोषित योजनाएँ: नेशनल ई-गवर्नेन्स एक्शन प्लान

क्र. सं.	योजना का नाम	(धनराशि रूपये में)
1.	स्टेट वाइट एरिया नेटवर्क (स्वान)	15,00,00,000.00
2.	स्टेट डाटा सेंटर	5,56,00,000.00
3.	स्टेट वाइड रोल आउट आफ ई-डिस्ट्रिक्ट	22,08,00,000.00
	कुल योग	**42,64,00,000.00**

3. उक्त योजनाओं में भारत सरकार द्वारा दिये गये निदेर्शो का पूर्णतय: अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(1) उद्योग निदेशक द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) उक्त धनराशि का भुगतान संबधित योजना में पारित एमओयू की शर्तो के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) उक्त स्वीकृति धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबंध निदेशक, यपीडेस्को द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। प्रबंध निदेशक, यूपीडेस्को द्वारा धनराशि का आहरण कर उसे राज्य समन्वयक, सेंटर फार ई-गवर्नेन्स को उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) उक्त धनराशि का लेखा-जोखा उद्योग निदेशक, कानपुर द्वारा अपने यहां भी रखा जायेगा।

(5) उक्त धनराशि का उपयोग स्टेट वाइट एरिया नेटवर्क (स्वान), स्टेट डाटा सेंटर एवं स्टेट वाइड रोल आउट आफ ई-डिस्ट्रिक्ट योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के अनुसार किया जायेगा।

(6) उक्त धनराशि स्वीकृत धनराशि के व्यय उपरान्त राज्य समन्वयक सेंटर फार ई-गवर्नेन्स द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 उद्योग निदेशक, कानपुर तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-7 उद्योग(भारी मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में लेखा शीर्ष "2852-उद्योग-आयोजनागत-07-दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग-202-इलेक्ट्रानिक्स-09 नेशनल ई-गवर्नेन्स एक्शन प्लान(के.90/रा.10-के.+रा.)-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

(8) यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 के आ0शा0प0सं0-ई-6-312/दस-15 दिनांक 12 जून, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(जी0एस0 प्रियदर्शी)
विशेष सचिव

संख्या-65/2015/897(1)/78-2-2015 तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ, उ0प्र0।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
6- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0,लखनऊ।
7- राज्य समन्वयक] सेन्टर फार ई-गवर्नेन्स लखनऊ।
9- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनु0-4 ।
11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/लघु उद्योग अनु0-3/औद्योगिक विकास अनु0-2 ।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महेन्द्र प्रसाद भारती)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।